

कय की जाने वाली सामग्रियों के नाम

स.क्र. सामग्री का नाम

1	Abacus
2	World Buileding Educational kit
3	Braille English Alphabet Trainer plate
4	Braille Hindi Alphabet Trainer plate
5	Audioable Cricket Ball
6	Braille playing cards
7	Braille Timepiece for learning
8	Braille cube
9	Braille Paper(pack of 100 sheets)
10	Braille slate A4 size
11	Braille scale
12	Taylor Frame
13	Universal holder(Pen/Pencil)
14	Tracing Wheel
15	Geometric set in Braille
16	Signature Guide
17	Stylus
18	Talking Calcultor 12 digit
19	Talking Thermometer Digital
20	Talking wrist watch Digital
21	Folding cane
22	Pill Box
23	Tactile Map Book
24	Tactile Manual for learning computers
25	All in one Tactile book
26	Father of nation Mahatma gandhi tactile Book
27	Tactile World Atlas
Assesive device and App	
1	द्वई सायकिल
2	व्हील चेयर
3	सी.पी.चेयर
4	वैसाखी
5	कैलिपर्स / शूज
6	ब्रसेस
7	वाकर
8	आर्थोपेडिक स्टीक
9	श्रवण यंत्र
10	पावर ग्लास
11	मेगनीफाइंग लेंस
12	टाकिंग कैलकूलेटर
13	टाकिंग वाच
14	व्हाईट केन
15	नोटेक्स

16	सिग्नेचर गाइड
17	ब्रेल किट
18	टच डिवाइस
19	वाइस रिकार्डर
20	संज्ञानात्मक ज्ञान हेतु टीएलएम
21	मनोवैज्ञानिक आंकलन टूल्स
22	एमआर किट
23	स्मार्ट केन
24	कोमोड चेयर
25	थैरेपी किट

शर्तें:-

1. निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट के द्वारा प्राप्त की जावेगी अथवा कार्यालयीन अवधि में टेण्डर बॉक्स में डाली जा सकती है।
2. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु वही फर्म पात्र होंगे, जिन्हें इस क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव हो। फर्म का दिव्यांगता से संबंधित उपकरणों के उत्पादन/आपूर्ति संबंधी जीएसटी पंजीयन हो।
3. संबंधित फर्म को आरसीआई से पंजीकृत/अनुमोदित होना चाहिए।
4. एक सामग्री अधिक प्रकार के हों, तो उसका साईज व दर अलग-अलग देना है।
5. आदेशित सामग्री जिले के विकासखण्डों तक पहुंचाकर एवं चालू हालत में देना होगा, जिसके लिए पृथक से परिवहन व्यय स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. निविदादाता को निविदा के साथ सामग्रियों के अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
7. निविदादाता फर्म को वाणिज्यकर विभाग का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र एवं विगत वर्षों का टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, बिना प्रमाण पत्र निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
8. निविदादाता फर्म को निविदा के साथ समस्त कर चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता फर्म ने आयकर अदा किया है, एवं उस पर कोई बकाया नहीं है, इस आशय का आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, बिना प्रमाणपत्र पत्र निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
10. निविदा की दर एवं टैक्स पृथक-पृथक रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा।
11. जिला क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि न्यूनतम दर प्राप्त होने पर अगर उचित समझे तो सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर अधिक दर की सामग्री को अनुमोदन कर सकता है।
12. निविदा पत्र दिनांक **20/01/21** को संध्या 05.00 बजे तक विक्रय की जावेगी। निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि **01/02/21** को समय अपरान्ह 03.00 बजे तक होगी। निविदा दिनांक **01/02/21** को अपरान्ह 04.00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोली जावेगी, जिसमें निविदादाता या उनके एक अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
13. निविदादाता फर्म को निविदा दो पृथक-पृथक बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (प्रथम लिफाफे में सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र, संस्थान का वाणिज्यिक विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र, पेनकार्ड, कर समाशोधन प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज जो कार्यालय द्वारा चाही गई है तथा दूसरे लिफाफे में सामग्री के स्पेशिफिकेशन/मेक साईज/भार सहित दर प्रस्तुत करना होगा)। प्राप्त सभी निविदाओं में जो निविदा से संबंधित प्रथम लिफाफे को पहले खोला जावेगा तथा पर्याप्त सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाणपत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज पूर्ण पाए जाने के पश्चात ही दूसरा दर संबंधी लिफाफा को खोला जावेगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जावेगा। एक निविदा प्राप्त होने पर उस पर विचार नहीं किया जावेगा।

14. निविदादाता को सुरक्षा निधि के रूप में रु.5,40,0,000/- शब्दों में पांच लाख चालीस हजार मात्र भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन रायगढ़ के नाम से देय हो, संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। प्रदेश की लघु एवं कुटिर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत हैं तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, उसका परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय में भाग लेते समय सुरक्षा निधि जमा करने से छूट दी जावेगी। इकाई द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र निविदा के साथ देने पर ही उन्हें छूट प्राप्त होगी। सुरक्षा निधि की राशि संलग्न नहीं होने पर प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
15. निविदा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात स्वीकार नहीं की जावेगी। अपरिहार्य कारणों से नियत तिथि को निविदा नहीं खुलने पर जिला क्रय समिति अपनी सुविधा से निविदा खोलने के लिए तिथि निर्धारित करेगी। जिसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से निविदादाता को दी जावेगी।
16. आदेशित सामग्री का भुगतान जिला क्रय समिति के द्वारा भौतिक सत्यापन में सामग्री सही एवं चालू हालत में पाए जाने की स्थिति में किया जाना संभव होगा।
17. किन्ही अपरिहार्य कारणों से निविदा निरस्त/निविदा प्रस्तुत करने की तिथि में वृद्धि/निविदा में किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार जिला क्रय समिति को होगा, जो कि बिना किसी सूचना के कर सकता है।
18. क्रय आदेश में निर्धारित अवधि के भीतर प्रदान करना अनिवार्य होगा, अन्यथा क्रय आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा।
19. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर जिला रायगढ़ का निर्णय अंतिम होगा एवं दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
20. निविदा प्रक्रिया के दौरान क्रय समिति ऐसी कोई भी शर्तें निर्धारित कर सकती है, जो शासन हित में हो। यह शर्त समस्त निविदाकर्ता को मान्य एवं उनके लिए बंधनकारी होगा।
21. जारी निविदा अनुमोदन तिथि से एक वर्ष के लिए वैध रहेगा एवं समय सीमा में बढ़ी हुई दर मान्य नहीं होगी।


कलेक्टर
जिला रायगढ़